अन्तिम डिक्री

(आर्डर 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी)

(civil Procedure Code Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अराई (अजमेर)

व इजलास **श्री खेमाराम यादव** (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 116/2018 नवीन मु.नं. 204/2020

1 श्री रामनारायण पुत्र स्व. गोगा जाति जाट निवासी ग्राम किशनपुरा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

वादी

बनाम

1.रामगोपाल पुत्र स्व. गोगा जाति जाट निवासी ग्राम किशनपुरा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

2. एस.बी.बी.जे. बैंक शाखा ढसूक जरिये शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. बैंक शाखा ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राज.

3.श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अरांई जिला अजमेर राज.

प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– धारा 53,188 राज.का. अधि.1955

मुकदमा नम्बरः– 116/2018, नवीन 204/2020

निर्णय दिनांकः– 18.08.2021

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संबंध में जारी बंटवारा आदेश व प्राथमिक डिकी दिनांक 22.01.2019 के संबंध में वकील वादी द्वारा सहमति व्यक्त की गई तथा उसी क्रम में मौका कमिश्नर तहसीलदार अराई द्वारा ग्राम किशनपुरा पटवार हल्का पाण्डरवाड़ा तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान स्थित वाद अधीन भूमि खाता संख्या नये 32 पुराने 33 खसरा नम्बर 20 रकबा 00–03 बीघा,खसरा संख्या 21 रकबा 04–00 बीघा, ,खसरा संख्या 22 रकबा 15–13 बीघा , ,खसरा संख्या 54/129 रकबा 11–05 बीघा,खसरा संख्या 78 रकबा 04–14 बीघा,खसरा संख्या 83 रकबा 04–06 बीघा,खसरा संख्या 101 रकबा 15–00,खसरा संख्या 112 रकबा 10–17 बीघा,खसरा संख्या 112/126 रकबा 01–13 बीघा कुल खसरा 09 कुल रकबा 67–11 बीघा का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्से अनुसार उभयपक्ष की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सहमत हैं । अतः कमीश्नर रिपोर्ट के अनुसार बंटवारा किया जाता है उक्त बंटवारे में कमीश्नर रिपोर्ट एवम् संलग्न मानचित्र अन्तिम डिकी का एक भाग होगा। तहसीलदार अराई द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर वाद अधीन भूमि का निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है–

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा बीघा में	किस्म	लगान	रंग
1.	रामनारायण पुत्र स्व. गोगा जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा ढसूक	21/2 22/01 22/3 21/4 78 101/1 112/1 54/129/1	02–04 02–10 04–09 00–10 04–14 07–10 06–05 05–12	गै.मु.छापर बा.सोयम बा.सोयम गै.मु.छापर जमाबन्दी अनुसार बा.दोयम बारानी 3 बारानी 3		नीला
	योग	कुल खसरा 08	33–14			
2.	रामगोपाल पुत्र स्व. गोगा जाति जाट राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा ढसूक (खसरा संख्या 83 बिलारहन)	21/1 22/02 21/3 22/4 21/5 83 101/2 112/2 112/126 54/129/2	00–04 04–09 00–10 04–05 00–12 04–06 07–10 04–12 01–13 05–13	गै.मु.छापर बा.सोयम गै.मु.छापर बा.सोयम गै.मु.छापर जमाबन्दी अनुसार बा.दोयम बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3	–	लाल
	योग	कुल खसरा 10	33–14			
	रामनारायण रामगोपाल पुत्र स्व. गोगा जाति जाट राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा ढसूक	20	00–03	गै.मु.चाह	–	शामलाती
	योग	कुल खसरा 1	00–03			

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट केकड़ी (अजमेर)

18/08/2021

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)

मुकदमा नम्बर 116/2018 नवीन मु.नं. 204/2020

1 श्री रामनारायण पुत्र स्व. गोगा जाति जाट निवासी ग्राम किशनपुरा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

वादी

बनाम

1.रामगोपाल पुत्र स्व. गोगा जाति जाट निवासी ग्राम किशनपुरा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

2. एस.बी.बी.जे. बैंक शाखा ढसूक जरिये शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. बैंक शाखा ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राज.

3.श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अरांई जिला अजमेर राज.

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश निर्णय दिनांक 18.08.2021

उपस्थितः- वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी

1. संक्षिप्त में वाद का सार इस प्रकार है कि वादीगण की और से वकील श्रीभागीरथ जी चौधरी ने वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड न्यायालय किशनगढ में पेश किया तथा दिनांक 24.05.2018 को जांच बाद प्रकरण दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। उक्त प्रकरण नवगठित उपखण्ड न्यायालय अराईं में उपखण्ड न्यायालय किशनगढ से स्थानान्तरण होकर प्राप्त होने पर पुनः 204/2020 पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वाद में वादीगण की और से वकील वादी श्री भागीरथ जी ने दावा किया कि वादी व प्रतिवादी सं.1 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम किशनपुरा पटवार हल्का पाण्डरवाडा तहसील अरांई जिला अजमेर राज. में स्थित है जिसके खाता संख्या **खाता संख्या नये 32 पुराने 33 खसरा नम्बर 20 रकबा 00–03 बीघा,खसरा संख्या 21 रकबा 04–00 बीघा, ,खसरा संख्या 22 रकबा 15–13 बीघा , ,खसरा संख्या 54/129 रकबा 11–05 बीघा,खसरा संख्या 78 रकबा 04–14 बीघा,खसरा संख्या 83 रकबा 04–06 बीघा,खसरा संख्या 101 रकबा 15–00,खसरा संख्या 112 रकबा 10–17 बीघा,खसरा संख्या 112/126 रकबा 01–13 बीघा कुल खसरा 09 कुल रकबा 67–11 बीघा** में वादी का 1/2 व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा निहित है। उक्त वर्णित भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य विधिक विभाजन न होकर केवल मौखिक सहमति अनुसार मौके विभाजन कर रखा है एवं उसी के आधार पर काबिज काश्त होकर कृषि कर रहें है। उक्त वाद में वर्णित भूमि का राजस्व रिकार्ड में विधिक विभाजन तथा तरमीम नहीं होने से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

परिवारजनों के मध्य नींव सींव व भूमि कम व ज्यादा को लेकर आये दिन कहासुनी, मनमुटाव, लड़ाई झगडा होता रहता है।

2. वाद कारण दिनांक 18.05.2018 को तब उत्पन्न हुआ जब वादी वादअधीन भूमि के अपने हक हिस्से वाली भूमि की देखभाल करने गया तो प्रतिवादी संख्या 01 ने वादी के हक हकूकों से इन्कार करते हुए बलात बेदखल करने की धमकी दी। अतः वादी द्वारा निवेदन किया गया कि बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 बंटवारा की डिक्री इस आशय की पारित की जावे कि वाद पत्र के पैरा सं0 01 में में वर्णित ग्राम किशनपुरा पटवार हल्का पाण्डरवाडा में स्थित वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/2 व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा निहित है का मय नींव सींव के अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी के अनुसार विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अलग अलग खाता, खसरा, लगान निर्धारण किया जावे तथा उसी अनुसार राजस्व नक्शे में अंकन किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 01 व उसके परिवारजन, नौकर,चाकर,रिश्तेदार वादी के हिस्से की भूमि,बाड़े के उपयोग उपभोग में तथा रास्ते में बाधा,रूकावट ,व्यवधान उत्पन्न नहीं करे।

3. उक्त वाद में दिनांक 24.05.2018 को वादपदों के स्थिरीकरण के लिये प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 को नोटिस जारी किये गये जिस कम में दिनांक 12.09.2018 को प्रति. सं0 01 की और से रामधन पोषक व विजय पोषक ने वकालतनामा व काबिज काश्त अनुसार विभाजन पर सहमति का जवाबदावा पेश करते हुये निवेदन किया कि मौके पर प्रतिवादी संख्या 01 व वादी जिस प्रकार वाद अधीन भूमि पर मौखिक बंटवारे से मौके पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है उसी प्रकार मौके पर कब्जे काश्त अनुसार विभाजन कर दिया जाये तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 02 की और से श्री आलोक बाकलीवाल व आशीष बाकलीवाल ने वकालतनामा पेश किया।

4. दिनांक 22.01.2019 को वकील वादी के मेमो होल्डर व वकील प्रतिवादी संख्या 01 उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 02 व 03 औपचारिक पक्षकार है अतः प्रतिवादी संख्या 02 व 03 का जवाब बन्द किया गया ।

5. वाद में प्रतिवादी संख्या 01 की और से सहमति का जवाबदावा तथा प्रतिवादी संख्या 02 व 03 का जवाब बन्द किये जाने के कारण तनकीयात कायम नहीं किये गये। दिनांक 22.01.2019 को वादी का वाद प्राथमिक डिकी कर दिया गया। तथा दिनांक 12.06.2020 को तहसीलदार अराई द्वारा प्राथमिक डिक्री व आदेश दिनांक 22.07.2019 की पालना में उभयपक्षकारान् की उपस्थिती में बटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया। जिस पर वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

अतःपत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित ग्राम **किशनपुरा स्थित वादग्रस्त भूमि खाता संख्या नये 32 पुराने 33 खसरा नम्बर 20 रकबा 00—03 बीघा,खसरा संख्या 21 रकबा 04—00 बीघा, ,खसरा संख्या 22 रकबा 15—13 बीघा , ,खसरा संख्या 54/129 रकबा 11—05 बीघा,खसरा संख्या 78 रकबा 04—14 बीघा,खसरा संख्या 83 रकबा 04—06 बीघा,खसरा संख्या 101 रकबा 15—00,खसरा संख्या 112 रकबा 10—17 बीघा,खसरा संख्या 112/126 रकबा 01—13 बीघा कुल खसरा 09 कुल रकबा 67—11 बीघा** भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्सेनुसार अच्छी से

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

छी व बुरी से बुरी by meets and bounds के आधार पर बंटवारा किया जाता है।
देश पालना हेतु तहसीलदार अरांई को तहरीर जारी हो।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा बीघा में	किस्म	लगान	रंग
1.	**रामनारायण पुत्र स्व. गोगा जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा ढसूक**	21/2 22/01 22/3 21/4 78 101/1 112/1 54/129/1	02–04 02–10 04–09 00–10 04–14 07–10 06–05 05–12	गै.मु.छापर बा.सोयम बा.सोयम गै.मु.छापर जमाबन्दी अनुसार बा.दोयम बारानी 3 बारानी 3		नीला
	योग	कुल खसरा 08	33–14			
2.	**रामगोपाल पुत्र स्व. गोगा जाति जाट राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा ढसूक (खसरा संख्या 83 बिलारहन)**	21/1 22/02 21/3 22/4 21/5 83 101/2 112/2 112/126 54/129/2	00–04 04–09 00–10 04–05 00–12 04–06 07–10 04–12 01–13 05–13	गै.मु.छापर बा.सोयम गै.मु.छापर बा.सोयम गै.मु.छापर जमाबन्दी अनुसार बा.दोयम बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3	–	लाल
	योग	कुल खसरा 10	33–14			
	रामनारायण रामगोपाल पुत्र स्व. गोगा जाति जाट राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा ढसूक	20	00–03	गै.मु.चाह	–	शामलाती
	योग	कुल खसरा 1	00–03			

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिंनाक 18/8/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

18/08/2021

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)